न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 148/2016 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. शेरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर निवासी मौरथा तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 13.2.2014 नामान्तरकरण संख्या 3252 वाकै रूवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री पुष्पेन्द्र तिवारी वकील अपीलान्ट।
2. पैरोकार सरकार।

दिनांक : 29.11.2017

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 13.2.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.8.2013 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 13.2.2014 को स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार उभयपक्षकारान को तलब किया जाकर तहत पत्रावली/रिकार्ड तलब किया गया। बाद कार्यवाही नियत दिनांक को उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील उभयपक्षों की बहस तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। उनका कहना है कि अपीलान्ट ने एक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.8.2013 को उपपंजीयक रूपवास के समक्ष पंजीकृत कराया उक्त बयनामा में अपीलान्ट/क्रेता का नाम शेरसिंह पुत्र श्री जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर निवासी मैरथा तहसील रूपवास जिला भरतपुर अंकित है जिसकी छाया प्रति इस अपील में भी प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा इस रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर अपने हक में दाखिला खारिज खुलवाने के लिये नियमानुसार तहत अदालत के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। तहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत किया गया किन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट के पिता का नाम जगन्नाथसिंह के स्थान पर जनकसिंह कर दिया है जो गलत है। वास्तव में मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा उसका नाम शेरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह है लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में शेरसिंह पुत्र जनकसिंह कर दिया है जो गलत है। तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश कार्यवाही उसके पिता का नाम गलत अंकन सहवन से की गई त्रुटी है जो दुरूस्त योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट के पिता का गलत नाम बने रहने से अपीलान्ट के हक हकूकों पर विपरीत असर पडने की संभावना बनी रहेगी। उक्त दाखिला खारिज का अमल दरामद भी राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 के खाता संख्या नया 601 व पुराना खाता संख्या 97 में भी अपीलान्ट के पिता का नाम जनकसिंह अंकन कर दिया है जो गलत है। अपीलान्ट का देरी से अपील पेश करने के संबध में यह कहना है कि इस गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलान्ट को 12.10.2016 ई–मित्र सेन्टर से नकल निकलवाने के दौरान हुई। जानकारी होते ही दिनांक 8.11.2016 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की गई। तदोपरान्त हरसंभव प्रयास कर अपील बिना किसी देरी से अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अपील पेश करने में अपीलान्ट द्वारा कसदन देरी नहीं की गई है बल्कि जानकारी के अभाव में देरी हुई है जो क्षमा योग्य है। जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है। इस संबध में आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

'' Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित रहता है अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट ने कोई हक हकूकी का बिन्दु न उठाया जाकर केवल अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित किये गये अपने पिता के नाम को दुरूस्त किये जाने का बिन्दु उठाया है। चूंकि अपीलान्ट का कहना है कि वास्तव में उसका नाम शेरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर निवासी मैरथा तहसील रूपवास है । अपीलाधीन नामान्तरकरण में उसके पिता का नाम जगन्नाथसिंह की जगह जनकसिंह कर दिया है जिसकी पुनः जांच कराया जाना हमारे ख्याल से न्यायसंगत रहता है। अपीलान्ट के पिता के वास्तविक नाम की जांच

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना प्रतीत हो रहा है जो न्याय संगत नही रहता है। यह माना कि नामान्तरकरण एक सरसरी प्रकिया है। फिर भी राजस्व रिकार्ड में आगामी इन्द्राज किये जाने मे यह अहम भूमिका निभाता है। इसलिऐ दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति तहत अदालत के लिये विधिवत जांच वेहद आवश्यक हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण पुनः रजिस्टर्ड बयनामा 14.8.2013 के परिपेक्ष्य में विधिवत जांच करने एवं तदनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3252 दिनांक 13.2.2014 निरस्त किया जाता है। यह प्रकरण तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के लिये इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.8.2013 के परिपेक्ष्य में पुनः पक्षकारान के सही व वास्तविक नामों की जांच करें तदोपरान्त इस विरासतन नामान्तरकरण के संबध में पुनः न्यायसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर